गेहूं आटा निर्यात को केंद्र की हरी झंडी

5 लाख टन निर्यात की दी अनुमति

21 जनवरी से आवेदन शुरू

नई दिल्ली, 19 जनवरी. गेहूं उत्पादक किसानों, आटा मिलों और निर्यातकों के लिए सरकार ने एक अहम और राहत भरा कदम उठाया है. तीन साल से अधिक समय बाद केंद्र सरकार ने गेहूं के आटे और उससे जुड़े उत्पादों के निर्यात पर लगी सख्त रोक में आंशिक ढील देते हुए सीमित मात्रा में निर्यात की अनुमति दे दी है.

इस फैसले को घरेलू खाद्य सुरक्षा और वैश्विक व्यापार के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक सोचा-समझा कदम माना जा रहा है. साल 2022 में बढ़ती घरेलू कीमतों और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सरकार ने गेहूं और उसके उत्पादों के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था. इसके बाद से भारतीय गेहूं उत्पाद वैश्विक बाजार से लगभग बाहर हो गए थे. अब पांच लाख टन गेहूं आटे के निर्यात की अनुमति देकर सरकार ने संकेत दिया है कि घरेलू स्थिति नियंत्रण में है और सीमित निर्यात से बाजार को कोई खतरा नहीं होगा. इस फैसले से न सिर्फ निर्यातकों को नए अवसर मिलेंगे, बल्कि प्रसंस्करण उद्योग को भी गति मिलने की उम्मीद है. हालांकि सरकार ने सख्त पात्रता शर्तें और चरणबद्ध आवेदन प्रक्रिया तय कर यह स्पष्ट कर दिया है कि घरेलू आपूर्ति और कीमतों से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा.

> विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से 16 जनवरी को जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई. यह निर्णय तीन साल से अधिक के अंतराल के बाद लिया गया है, क्योंकि वर्ष 2022 में घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. अधिसूचना के अनुसार, गेहूं के आटे और उससे जुड़े उत्पादों का निर्यात सामान्य तौर पर प्रतिबंधित श्रेणी में ही रहेगा. हालांकि, मौजूदा नीतिगत शर्तों के अतिरिक्त, सरकार ने विशेष रूप से पांच लाख मीट्रिक टन तक निर्यात की अनुमति दी है.

डिस्कॉम्स ने रचा इतिहास, 2701 करोड़ का मुनाफा

नई दिल्ली, 19 जनवरी. देश के बिजली वितरण क्षेत्र के लिए यह एक ऐतिहासिक और राहत भरा संकेत है. वर्षों तक भारी घाटे, वित्तीय दबाव और संरचनात्मक समस्याओं से जूझने के बाद अब विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम्स) मुनाफे में लौट आई हैं. वित्त वर्ष 2024-25 में देशभर की बिजली वितरण कंपनियों ने मिलकर 2,701 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है. यह उपलब्धि ऐसे समय में सामने आई है, जब यह क्षेत्र लंबे समय से ऊर्जा क्षेत्र की सबसे कमजोर कड़ी माना जाता रहा है. बीते एक दशक में डिस्कॉम्स पर बढ़ते कर्ज, तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान, सब्सिडी भुगतान में देरी और लागत वसूली की समस्याओं ने इनके वित्तीय हालात को बुरी तरह प्रभावित किया था.

एयरटेल ने 5जी नेटवर्क का किया विस्तार

3.6 करोड़ ग्राहकों को भरोसेमंद हाई-स्पीड नेटवर्क मिल रहा है

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एयरटेल के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक बाजार

नई दिल्ली, 19 जनवरी. भारत की अग्रणी दूरसंचार सेवा प्रदाता भारती एयरटेल ने पिछले एक साल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2,400 से अधिक नये 5जी साइट्स लगाये हैं. कंपनी ने सोमवार को बताया है कि दोनों राज्यों के 87 जिलों में कंपनी के इस नेटवर्क विस्तार से अब व्यस्त शहरों, तेजी से विकसित हो रहे कस्बों और दूरदराज के गांवों में भी 3.6 करोड़ ग्राहकों को भरोसेमंद हाई-स्पीड नेटवर्क मिल रहा है.

ग्राहक बेहतर स्ट्रीमिंग, तेज डाउनलोड, निर्बाध ऑनलाइन काम और पढ़ाई, तथा अधिक विश्वसनीय डिजिटल भुगतान का लाभ उठा सकते हैं. इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, सागर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, देवास, कोरबा और राजनांदगांव सहित कई प्रमुख जिलों के ग्राहक इस विस्तारित नेटवर्क से सीधे लाभान्वित होंगे. यह विस्तृत कवरेज हाई-स्पीड 5जी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करेगा, जिससे आम लोगों, छात्रों, छोटे कारोबारियों और सरकारी संस्थानों की रोजमर्रा की डिजिटल जरूरतों को बेहतर समर्थन मिलेगा.

> मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए एयरटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितेश अग्रवाल ने कहा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एयरटेल के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक बाजार हैं. यह विस्तार देश के हर कोने को जोड़ने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि दोनों राज्य आगे भी एयरटेल के प्रमुख फोकस क्षेत्र बने रहेंगे. इनमें अपनी उपस्थिति को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एयरटेल ने उन ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क घनत्व बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निवेश किया है, जहां पहले कनेक्टिविटी सीमित थी. इसमें गांवों, राजमार्गों, सीमावर्ती क्षेत्रों और उन आर्थिक गलियारों में साइट्स की संख्या बढ़ाना शामिल है, जहां डिजिटल अपनाने की गति तेजी से बढ़ रही है.

अमेरिका पर 93 अरब यूरो टैरिफ लगाएगा ईयू

डावोस / ब्रसेल्स, 19 जनवरी. ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की टैरिफ धमकी ने यूरोप-अमेरिका संबंधों में नई दरार पैदा कर दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूरोपीय संघ अब अमेरिका के खिलाफ 93 अरब यूरो तक का जवाबी टैरिफ लगाने या अमेरिकी कंपनियों की यूरोपीय बाजार में पहुंच सीमित करने पर विचार कर रहा है. यह संभावित कदम ऐसे समय सामने आया है, जब डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान दोनों पक्षों के बीच अहम बातचीत होने वाली है.

यूरोपीय संघ अमेरिका के खिलाफ कड़ा व्यापारिक रुख अपनाने की दिशा में आगे बढ़ता नजर आ रहा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड को लेकर टैरिफ लगाने की धमकी के बाद यूरोपीय संघ 93 अरब यूरो तक का शुल्क वॉशिंगटन पर लगाने या अमेरिकी कंपनियों को अपने बाजार में काम करने से रोकने जैसे कदमों पर गंभीरता से विचार कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोपीय अधिकारी संभावित जवाबी उपायों की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं ताकि अगले सप्ताह स्विट्जरलैंड के डावोस शहर में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान यूरोपीय नेताओं के पास मजबूत रणनीतिक विकल्प मौजूद हों.

चावल, चीनी, दालें मजबूत; गेहूं नरम; खाद्य तेलों में घट-बढ़

नई दिल्ली, 19 जनवरी. घरेलू थोक जिंस बाजारों में सोमवार को चावल के औसत भाव बढ़ गये जबकि गेहूं की कीमतों में नरमी रही. चीनी और दालों के दाम भी बढ़े. खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव का रुख रहा. औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत 86 रुपये बढ़कर 3,848 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गयी. गेहूं 18 रुपये टूटकर 2,857 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका. आटे की कीमत भी 24 रुपये घट गयी. दाल-दलहनों में तेजी का रुख रहा. तुअर दाल की औसत कीमत 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गयी. मसूर दाल 150 रुपये और चना दाल 144 रुपये प्रति क्विंटल मजबूत हुई. मूंग दाल 97 रुपये और उड़द दाल 38 रुपये प्रति क्विंटल महंगी हुई.

शेयर बाजार पहुंचा लाल निशाने पर

324 अंक नीचे आया सेंसेक्स

108 अंक पर टूटा निफ्टी

मुंबई, 19 जनवरी. घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार को गिरावट रही और बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 324.17 अंक (0.39 प्रतिशत) लुढ़क कर 83,246.18 अंक पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 108.85 अंक यानी 0.42 प्रतिशत टूटकर 25,585.50 अंक पर आ गया.

यह दोनों सूचकांकों का दो महीने से ज्यादा समय का निचला स्तर है. बाजार में आज काफी उतार-चढ़ाव रहा. एक समय सेंसेक्स 672 अंक गिर गया था, लेकिन बाद में इसकी गिरावट कुछ कम हुई. चौतरफा बिकवाली के बीच मझौली और छोटी कंपनियों के सूचकांक भी लाल निशान में रहे. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.25 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.99 प्रतिशत टूट गया. तेल एवं गैस, रियलटी, मीडिया, रसायन, स्वास्थ्य और टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद समूहों में ज्यादा गिरावट रही. वहीं, एफएमसीजी और ऑटो सेक्टरों के सूचकांक हरे निशान में रहे.

कंपनी के शेयर में चार फीसदी से अधिक उछाल आया

सेंसेक्स की कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर तीन प्रतिशत टूट गया. आईसीआईसीआई बैंक और इटरनल के शेयर दो प्रतिशत से अधिक गिरे. टाइटन, अडानी पोर्ट्स, टीसीएस और अल्ट्राटेक सीमेंट में एक से डेढ़ फीसदी के बीच गिरावट रही. एनटीपीसी, इंफोसिस, भारती एयरटेल, भारतीय स्टेट बैंक और एचडीएफसी बैंक के शेयर भी लाल निशान में बंद हुए. विमान सेवा कंपनी इंडिगो पर नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अपेक्षाकृत नरम कार्रवाई के बाद कंपनी के शेयर में चार फीसदी से अधिक उछाल आया. टेक महिंद्रा का शेयर भी लगभग तीन प्रतिशत ऊपर बंद हुआ.

78 लाख करोड़ की 3,000 परियोजनाओं पर नजर

पीएमजी बना इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की रीढ़: पीयूष गोयल

500 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट्स की निगरानी

नई दिल्ली, 19 जनवरी. देश में बुनियादी ढांचे को गति देने और बड़े निवेश प्रोजेक्ट्स की अड़चनों को दूर करने में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, पीएमजी फिलहाल 78 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 3,000 से ज्यादा केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप इस समय देशभर में 78 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 3,000 से ज्यादा परियोजनाओं की निगरानी कर रहा है.

यह जानकारी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने को साझा की. उन्होंने बताया कि पीएमजी ने अब तक 94 प्रतिशत मामलों में परियोजनाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर दिया है, जिससे विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण को गति मिली है. पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के जरिए भारत 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' के विजन को आगे बढ़ाने में पीएमजी एक प्रभावी संस्थागत व्यवस्था के रूप में उभरा है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स के कार्यान्वयन में आने वाली अड़चनों को समयबद्ध तरीके से दूर कर रहा है.

मंत्री ने कहा कि तय समय में समस्याओं के समाधान से परियोजनाओं की गति बढ़ी है और पीएमजी अब भारत की परियोजना क्रियान्वयन व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बन चुका है. इसका सीधा असर निवेशकों के भरोसे और कारोबार करने में आसानी पर पड़ा है. पीएमजी मुख्य रूप से 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक निवेश वाली परियोजनाओं की चरणबद्ध निगरानी करता है.

> पीएमजी मुख्य रूप से 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक निवेश वाली परियोजनाओं की चरणबद्ध निगरानी करता है. यह नीतिगत, नियामकीय और अन्य व्यावहारिक अड़चनों को दूर करने में मदद करता है, ताकि प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो सकें. वर्तमान में पीएमजी 'निवेश इंडिया', उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग और वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहा है. सरकार के अनुसार, पीएमजी जिन परियोजनाओं की निगरानी करता है, वे मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे से जुड़ी होती हैं.

इंडिगो पर लगा 22 .20 करोड़ का जुर्माना

सीनियर को हटाने और 50 करोड़ की बैंक गारंटी के निर्देश

नई दिल्ली, 19 जनवरी. इंडिगो एयरलाइंस के हालिया फ्लाइट संकट को लेकर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई की है. जांच में गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद डीजीसीए ने इंडिगो पर कुल 22 करोड़ 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

इसके साथ ही एयरलाइन को 50 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी अव्यवस्थाओं को रोका जा सके और सिस्टम में दीर्घकालिक सुधार सुनिश्चित हो. डीजीसीए की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिगो की ओर से उड़ान संचालन, संकट प्रबंधन और नियामकीय तैयारियों में गंभीर चूक हुई. आदेश के तहत 50 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी के साथ एक विशेष सुधार ढांचा तैयार किया गया है, जिसे इंडिगो सिस्टमिक रिफॉर्म एश्योरेंस स्कीम नाम दिया गया है. इसका उद्देश्य एयरलाइन के ऑपरेशनल सिस्टम को मजबूत करना और भविष्य में बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द या विलंबित होने जैसी स्थिति से बचना है. इसके अलावा डीजीसीए ने नियमों के छह अलग-अलग उल्लंघनों को लेकर इंडिगो पर 1.80 करोड़ रुपये का एकमुश्त आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. प्रत्येक उल्लंघन पर 30 लाख रुपये का दंड लगाया गया है. शीर्ष अधिकारियों पर भी गिरी गाज-डीजीसीए ने इंडिगो के प्रबंधन स्तर पर भी सख्त रुख अपनाया है.

पीएनबी-आईआरएफसी की कमाई में उछाल

नई दिल्ली. सरकारी स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर अपनी वित्तीय स्थिति की मजबूती साबित की है. दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही में पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड दोनों ने अपने शुद्ध लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है. यह प्रदर्शन ऐसे समय में सामने आया है, जब बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र वैश्विक अनिश्चितताओं, ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव और घरेलू मांग के दबावों का सामना कर रहा है. पीएनबी ने जहां खराब ऋणों में कमी और बेहतर रिकवरी के दम पर मुनाफे में दो अंकों की वृद्धि हासिल की.

2030 तक भारत बन जायेगा उच्च-मध्य आय वाला देश

नई दिल्ली, 19 जनवरी. भारत अगले दो साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और चार साल में उच्च-मध्य आय वाला देश बन जायेगा.

भारतीय स्टेट बैंक की अनुसंधान इकाई एसबीआई रिसर्च की सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में यह बात कही गयी है. इसमें बताया गया है कि निम्न-मध्य आय वाले देश से उच्च-मध्य आय वाले देश की श्रेणी में शामिल होने के लिए प्रति व्यक्ति 4,500 डॉलर सालाना आय का लक्ष्य हासिल करना जरूरी है. भारत जिस गति से प्रगति कर रहा है, साल 2030 तक इस मुकाम पर पहुंच जायेगा. आजादी के बाद 62 साल में देश की प्रति व्यक्ति आय 1,000 डॉलर पर पहुंची. इसे 2,000 डॉलर पर पहुंचने में अगले 10 साल और 3,000 डॉलर पर पहुंचने में और सात साल लगे. अगले चार साल में वर्ष 2030 तक प्रति व्यक्ति आय 4,000 डॉलर तक पहुंच जायेगी और विश्व बैंक की मौजूदा परिभाषा के अनुसार भारत चीन और इंडोनेशिया के साथ उच्च-मध्य आय वाले देशों में शामिल हो जायेगा. एसबीआई रिसर्च का कहना है कि 4,500 डॉलर प्रति व्यक्ति के सकल राष्ट्रीय आय पर पहुंचने के लिए वर्तमान मूल्य पर आधारित नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद में 11.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जरूरत है जो संभव है.

संगठन को धारदार बनाएंगे आदित्य साहू

रांची. भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में संगठनात्मक नेतृत्व की कमान आदित्य साहू को सौंपकर स्पष्ट संकेत दिया है कि पार्टी अब राज्य में अपेक्षाकृत युवा, ऊर्जावान और जमीनी नेतृत्व के सहारे अपनी राजनीतिक धार को तेज करना चाहती है.

निचले स्तर से संगठन में काम करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पद तक पहुंचे साहू का सफर भाजपा की कैडर आधारित राजनीति का उदाहरण है. उनका चयन केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि झारखंड में भाजपा की भविष्य की रणनीति का संकेत भी है. वहीं, इस चयन से ओबीसी समाज को भी साधने का प्रयास किया गया है.

झारखंड भाजपा का नेतृत्व लंबे समय तक अपेक्षाकृत वरिष्ठ और अनुभव आधारित चेहरों के हाथ में रहा है. ऐसे नेतृत्व ने संगठन को स्थिरता तो दी, लेकिन बदले हुए सामाजिक-राजनीतिक समीकरणों के अनुरूप आक्रामक विस्तार की कमी भी महसूस की गई. इसके विपरीत आदित्य साहू का राजनीतिक विकास छात्र राजनीति, मंडल और जिला स्तर के संगठनात्मक कार्यों से होकर हुआ है. यह अनुभव उन्हें कार्यकर्ताओं की वास्तविक चुनौतियों और अपेक्षाओं को समझने में मदद करता है. तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो साहू का नेतृत्व माडल अधिक सहभागी और संवाद आधारित प्रतीत होता है.

झारखंड की राजनीति आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और शहरी-ग्रामीण विभाजन के जटिल सामाजिक ताने-बाने पर आधारित है. भाजपा पर अक्सर यह आरोप लगता रहा है कि वह आदिवासी और स्थानीय मुद्दों को पर्याप्त संवेदनशीलता के साथ नहीं उठाती.

> **कैडर आधारित ताकत पर फोकस**
>
> आदित्य साहू बार-बार यह दोहराते रहे हैं कि भाजपा की असली ताकत उसका समर्पित कैडर है. गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में भाजपा की सफलता का प्रमुख कारण मजबूत बूथ संरचना और प्रशिक्षित कार्यकर्ता माने जाते हैं. झारखंड में भाजपा संगठनात्मक रूप से मौजूद तो है, लेकिन कई क्षेत्रों में बूथ स्तर की सक्रियता कमजोर रही है. साहू की रणनीति अन्य राज्यों के सफल मॉडल से सीख लेते हुए झारखंड में कैडर को पुन: सक्रिय करने की है. साहू के नेतृत्व की सबसे अहम विशेषता युवा नेतृत्व को आगे लाने की मंशा है. पार्टी के भीतर लंबे समय से यह चर्चा रही है कि झारखंड जैसे युवा आबादी वाले राज्य में संगठन का चेहरा अपेक्षाकृत उम्रदराज दिखता है. तुलनात्मक रूप से देखें तो भाजपा ने हाल के वर्षों में कई

असम और केरल में क्या करेगी तृणमूल?

नई दिल्ली. राजनीति में आमतौर पर जो होता हुआ दिखता है वह असल में नहीं होता है और जो होता है वह पहले से दिखता नहीं है. तभी यह सवाल उठ रहा है कि क्या सचमुच ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच वैसी ही जंग चल रही है, जैसी चलती दिख रही है? दूसरा सवाल है कि क्या सचमुच ममता बनर्जी अपने राज्य के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं? पश्चिम बंगाल के बाहर की तृणमूल कांग्रेस की राजनीति को देखेंगे तो यह सवाल ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है.

क्या कांग्रेस में होगी टूट?

पटना. बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति और दही-चूड़ा भोज का रिश्ता पुराना रहा है. हर साल यह भोज सिर्फ त्योहार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके जरिए सियासी संकेत भी दिए जाते हैं.

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजन यंत्री, भदभदा रोड, संभाग भोपाल-01

Mob. No. : 9425601545, ईमेल : mpphc.bhopal@yahoo.com

क्र.-मप्रपुआअविनि/69/पयं/भोपाल-01/तशा/2025

भोपाल, दिनांक : 16.01.2026

प्रेस विज्ञप्ति

भोपाल संभाग-1 अंतर्गत भोपाल जिले में निर्माण/मरम्मत/रेनोवेशन कार्य हेतु निविदा क्रमांक-34/2025-26 ऑनलाइन निविदा क्रमांक - 2026_MPPHC_476440_1, 2026_MPPHC_476486_1, 2026_MPPHC_476487_1, आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 27.01.2026 सायं 5:00 बजे तक** ऑनलाइन खरीदे एवं दस्तावेज अपलोड किये जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण Portal : **https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र.माध्यम/124037/2026 **परियोजना यंत्री**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया / Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

आधिपत्य सूचना (स्थावर संपत्ति) नियम-8 (1)

जबकि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (एक्ट 54 का 2002) अन्तर्गत एवं धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्न वर्णित दिनांक को मांग सूचना पत्र को जारी किया जिसमें निम्नवर्णित ऋणी एवं जमानतदार को नोटिस में निम्न वर्णित राशि एवं उस पर देय ब्याज एवं अन्य खर्चो सहित नोटिस प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों की समयावधि में भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया था।
ऋणी द्वारा पूर्ण राशि के भुगतान नहीं करने पर ऋणी, जमानतदार एवं आमजनता को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कथित एक्ट की धारा 13 (4) सहपठित उक्त कथित नियम के नियम 8 के अधीन निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने निम्नवर्णित संपत्तियों का कब्जा निम्नवर्णित दिनांक को ले लिया गया है।
ऋणी एवं जमानतदार को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतः एतद् द्वारा निम्नवर्णित संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई भी व्यवहार निम्न वर्णित राशि के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया संबंधित शाखा के निर्मित प्रभार के अध्यधीन होगा।
ऋणकर्ता जमानतदार / संपत्ति स्वामी का ध्यान आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन एवं प्रतिभूति-हित-का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(8) के प्रावधान के तहत उपलब्ध समय में प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने की ओर आकर्षित किया जाता है।

ऋणी एवं जमानतदार का नाम	चल एवं अचल बंधक संपत्ति का विवरण / चौहद्दी /संपत्ति मालिक का नाम	मांग सूचना दिनांक / कब्जा दिनांक	मांग सूचना के अनुसार देय राशि
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हर्राखेड़ा शाखा, हर्राखेड़ा			
ऋणी- श्री कंचन जोशी पुत्र श्री बद्रीप्रसाद जोशी सहऋणी- श्री अरविन्द जोशी पुत्र श्री बद्री प्रसाद जोशी	फ्री होल्ड रिहायशी मकान क्षेत्रफल-30ft X 40ft = 1200 वर्गफिट खसरा नं. 200/2, 209, 210, 211, 212, 213, ग्राम हर्राखेड़ा, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल संपत्ति मालिक- श्री कंचन जोशी पुत्र श्री बद्री प्रसाद जोशी रजिस्टर्ड सेल डीड नं. 505, ग्रंथ नं. 1266 दिनांक 26.06.2006 के अनुसार, उप/संयुक्त रजिस्ट्रार बैरसिया में पंजीकृत, चर्तुसीमाएँ: उत्तरः विक्रेता की शेष भूमि, दक्षिणः विक्रेता की शेष भूमि, पूर्वः 12 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः विक्रेता की शेष भूमि।	04/10/2025 / 15/01/2026	दिनांक 04.10.25 को ₹ 12,16,393.79 +दिनांक 05.10.2025 से ब्याज एवं खर्चे

स्थान : भोपाल, दिनांक : 15.01.2026 — प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

M.P. MADHYA KSHETRA VIDYUT VITARAN COMPANY LTD.

OFFICE OF THE DY. GENERAL MANAGER (STM-STC) DIVISION, Pipariya

Email : dgmstmstcpipariya@gmail.com

NOTICE INVITING E-TENDER

E-Tenders are invited from eligible bidders (A4 and Above Current Ragistration Certificate) for carrying out the following works on semi turn key basis

T.S. No.	Name of Work	Approx Cost of Work (In Lakhs)	Last Bid Submission Date & Time	Online Opening of Bid
66 Date 19.01.26	Interconnection of 33 KV Line from 33 KV Tuta Dahalwada feeder Under Pipariya R/S D/c of O&M Dn Pipariya & Additional Work of 33 KV Interconnection Line form 33 KV Tuta Dehalwada feeder Under Pipariya R/S D/C of O&M Dn Pipariya.	7.43	19.01.2026, 14:00 Hrs. up to 27.01.2026, 15:00 Hrs.	28.01.2026 after 15:30 Hrs.

Other details, terms and conditions are available on company website: **https://portal.mpcz.in** & **https://mptenders.gov.in** or the under signed office.

M.P. Madhyam/124042/2026 **DGM (STM & STC)**

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड — **डिमांड नोटिस**

कॉर्पोरेट कार्यालय : मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, एसटी डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुंबई-400025. ईमेल : hfquery@motilaloaswal.com

CIN Number:- U65923MH2013PLC248741

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('नियम') के प्रावधानों के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के तहत मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (MOHFL) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है. अधोहस्ताक्षरी का उचित रूप से मानना है कि उधारकर्ता मांग नोटिस की तामील से बच रहा है, इसलिए नियमों के अनुसार नोटिस की तामील चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है. मांग नोटिस की विषयवस्तु नीचे दी गई है:-

क्र.	ऋण अनुबंध संख्या/ऋणी/सह-ऋणी/गारंटर का नाम	मांग नोटिस तिथि और बकाया	अचल संपत्ति का विवरण
1.	LXBHO00416-170043716 **उधारकर्ता :** संभव कुमार सुशील कुमार जैन **सह-आवेदक :** सुशील कुमार भागचंद जैन	09.01.2026 / रु. 6,93,668/- (रु. छह लाख तिरानवे हज़ार छह सौ अड़सठ मात्र)	प्लॉट नंबर 247, 250, ख.नं. 39/1/1 गैरतगंज गांव धनगवा, तह.गैरतगंज, जिला रायसेन, भोपाल, मध्य प्रदेश. सीमाएँ - पूर्व- कॉलोनी रोड, पश्चिम- कॉलोनी रोड, उत्तर- अन्य प्लॉट, दक्षिण- अन्य प्लॉट.

उधारकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग सूचना का पालन करें और उसमें उल्लिखित मांग राशि और ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, भुगतान प्राप्ति की तिथि तक के बाउंस शुल्क, लागत और व्यय सहित करें. उधारकर्ताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि MOHFL एक सुरक्षित ऋणदाता है और उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा, उधारकर्ताओं द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है। यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो MOHFL अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्ज़ा करने के सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय का उपयोग करके उन्हें स्थानांतरित करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है. MOHFL को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है. सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, MOHFL को शेष राशि की वसूली के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य MOHFL को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है. यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत MOHFL को उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है.

उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में प्रावधान है और इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 13(13) की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत उधारकर्ता(ओं) को MOHFL की पूर्व लिखित सहमति के बिना, सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या उनसे संबंधित लेन-देन करने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यावसायिक गतिविधियों के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है. मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता(ओं) यदि चाहें तो, सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं.

स्थान : मध्य प्रदेश — **एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी**

दिनांक : 20.1.2026 — अनुवाद में त्रुटियां/विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा. — **मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड**